न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2016/00010

उनवान

1. श्री महिपालसिंह पिता अनोपसिंह राजपूत, निवासी–भूधर, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. मृतक श्री मंगला पिता तेजा पटेल के बजायः–
   - 1/1 श्री रमेश पिता मंगला पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 1/2 श्री हकरा पिता मंगला पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 1/3 श्रीमती कुरी पुत्री मंगला पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 1/4 श्रीमती चम्पा पुत्री मंगला पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 1/5 श्रीमती लाली पुत्री मंगला पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 1/6 श्री नानजी पुत्र मंगला पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री गौतम पिता पेमाजी पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती कुरी पत्नी गौतम पटेल, निवासी–कोजावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/6
3. श्री नागेन्द्र सिंह चौहान, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/6
4. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.24 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 24-02-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री हास हस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कोजावाड़ा,

तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 233 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 234 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, आराजी संख्या 240 रकबा 0.0100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु विपक्षी संख्या 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे पहले तो आराजी संख्या 233 एवं 234 के बारे मे लिखा व बाद मे आराजी संख्या 240 भी जोड़ दिया गया। आवेदन फार्म मे आराजी नंबर मे कांट–छांट की हुई है। मूल प्रार्थी लालूराम एवं सविता देवी थे, जिनके नाम को काट कर मंगला पुत्र तेजा व गौतम पुत्र पेमा का नाम जोड़ दिया गया। आवंटन पत्रावली मे कथित रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर मौजूद नही है। कानूनन एक से अधिक व्यक्तियों के नाम संयुक्त रूप से आवंटन नही हो सकता है। भूमि पहाड़ी होते हुये भी बिलानाम मानकर आवंटन किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का उसके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। कथित भूमि राजस्व ग्राम चकहथिया मे स्थित है, जबकि आवंटन कोजावाड़ा के व्यक्तियों को किया गया है। आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार नही की गई एवं न ही उद्घोषणा पत्र जारी किया गया। कथित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से मिली हुई है। आवंटन उपरान्त विपक्षीगण द्वारा मौके पर कब्जा काश्त नही करने से उक्त जमीन का इन्तकाल विपक्षीगण के नाम नही खुला है व वर्तमान मे भी भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है। विपक्षीगण भूमिहीन की परिभाषा मे नही आता है। उक्त आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से किया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 श्री गौतम पिता पेमा पटेल ने जवाब पेश हुआ कि प्रार्थी का कथित आवंटित भूमि से कोई संबध नही है। प्रार्थी के स्वयं के खाते मे लगभग 30 बीघा भूमि स्थित हो वह भूमिहीन नहीं हैं। प्रार्थी न्यायालय मे क्लीन हेंड नही आया है। विपक्षीगण गरीब खातेदार है एवं भूमिहीन होने से ही उन्हें भूमि का आवंटन हुआ है। आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया गया है। प्रार्थी ने जिन लालूराम एवं सविता का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र मे किया है, वह विपक्षी संख्या 2 का सगा भाई है एवं उसके द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई है। विपक्षीगण द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान बनाया गया है एवं आवंटन कमेटी ने सभी तथ्यों की जांच उपरान्त कथित आवंटन किया है। न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट एकतरफा है। इस प्रकार उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होने व आवंटन पूर्णतया नियमानुसार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। प्रकरण मे शेष विपक्षीगण की ओर से जवाब अप्राप्त रहने से जवाब बंद किया गया।

प्रकरण मे तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात के संबध मे मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा उनके पत्र क्रमांक 73 दिनांक 15.02.2017 से प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट मे न्यायालय को अवगत कराया कि राजस्व ग्राम चकहथिया, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर की आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि पूर्व से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.24 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी श्री मंगला पिता तेजा, गौतम, सोमालाल, लालूराम पिता पेमा, मु. नानी देवी पत्नी पेमा 1/2 हि.ब. के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। आराजी संख्या 233 रकबा 0.0800 हेक्टेयर सम्पूर्ण आराजी एवं आराजी संख्या 234 रकबा 0.3700 हेक्टेयर के करीबन 0.2300 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी पक्ष का कब्जा है एवं शेष 0.1400 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का कब्जा है। राजस्व अभिलेख मे आराजी संख्या 233 एवं 234 बिलानाम सरकार दर्ज है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से सबंधित मूल पत्रावली संख्या 04/2013 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1/6 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 4 का भूमिहीन न होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की अवहेलना होना, वक्त आवंटन भूमि अनओक्युपाईड़ न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना, आवेदन पत्र मे कांट–छांट होना, फार्म अन्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाना एवं आवंटन अन्य व्यक्ति को होना, उद्घोषणा पत्र जारी न होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने से आराजी संख्या 233 एवं 234 वर्तमान मे भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होना आदि आधारो पर कथित आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 की छायाप्रतियां एवं निम्न न्यायिक दृष्टांत अपने समर्थन मे पेश कियेः–

- आर.आर.डी 2001 पृष्ठ 142
- आर.आर.डी 1994 पृष्ठ 311
- आर.बी.जे. 2007 पृष्ठ 492
- आर.आर.डी 1998 पृष्ठ 589
- आर.आर.टी. 2009(2) पृष्ठ 1220
- आर.आर.टी. 2009(1) पृष्ठ 65
- आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ 83

विपक्षी संख्या 1/6 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए प्रार्थी द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, प्रार्थी का क्लीन हेंड नही आना, विपक्षीगण का गरीब खातेदार एवं भूमिहीन होना, आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये होना, आवेदन पत्र मे उल्लेखित लालूराम एवं सविता का विपक्षी संख्या 2 का सगा भाई होकर उसके द्वारा आपत्ति व्यक्त न करना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया एवं कथित आवंटन को यथावत रखे जाने हेतु अनुरोध किया। विपक्षी संख्या 1/6 के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि प्रार्थी व्यथित पक्षकार नहीं हैं। इस प्रार्थना पत्र मे उसका कोई हित निहित न होने से उसे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। मामले मे व्यथित पक्षकार श्री लालूराम है, किन्तु उनके द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की हैं। विपक्षीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.24 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

पास भूमिहीन की सीमा से अधिक भूमि नहीं हैं। पत्रावली मे कांट–छांट एक तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि है, जिसमे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन या धोखाधड़ी नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1/6 के अधिवक्ता ने अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

- आर.आर.ड़ी. 1993 पृष्ठ संख्या 801

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब, मौका रिपोर्ट, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रकरण मौजा चकहथिया की साबिक आराजी संख्या 233 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 234 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, आराजी संख्या 240 रकबा 0.0100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 हेक्टेयर भूमि के आवंटन से संबंधित हैं। उपखण्ड़ अधिकारी ऋषभदेव से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली संख्या 04/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा चकहथिया, तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 233 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, आराजी संख्या 234 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, आराजी संख्या 240 रकबा 0.0100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 4 को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजुद हो अध्यक्ष के रूप मे उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजुद हैं। मामले मे आवंटित आराजी संख्या 240 रकबा 0.0300 हेक्टेयर पूर्व से ही विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर लालूराम एवं संगीता के हस्ताक्षर भी मौजुद है, किन्तु उक्त दोनो को भूमि का आवंटन नही किया गया हैं। मामले मे यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र पर लालूराम एवं सविता के हस्ताक्षर अवश्य मौजूद है, लेकिन उनके द्वारा इस बाबत् कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त बिंदु के आधार पर कथित आवंटन को मिसरिप्रजेन्टेशन की श्रेणी मे नही रखा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा आवंटन से पूर्व का होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप आवंटन से पूर्व के धारा 91 के नोटिस इत्यादि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। आवंटन के पश्चात् के नोटिस को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे स्वीकार करना न्यायोचित नहीं हैं। यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का विपक्षीगण के पक्ष मे किये गये आवंटन से पूर्व का कब्जा होता, तो उन पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का पूर्ववर्ती कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता आवंटन से पूर्व के कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। मामले मे आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होना एवं आवंटन [illegible] नियमानुसार होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 से 4 को आवंटित [illegible] संख्या 233 एवं 234 वर्तमान मे बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त भूमि आवंटन उपरान्त आवंटियों के नाम राजस्व अभिलेख मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.24 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested

गैर खातेदारी हक से दर्ज करने का दायित्व संबंधित तहसीलदार का है एवं उक्त भूमि आवंटीगण के नाम दर्ज न होना, वर्तमान मे भी बिलानाम सरकार ही अंकित होने, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना हुई अथवा नही हुई है इस संबंध मे अग्रिम जांच तहसीलदार के स्तर पर की जाना उचित है। इस बिंदु के संबंध मे राजकीय पक्ष द्वारा भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस न्यायालय को आवंटन मे हुए मिसरिप्रजेन्टेशन को देखना है एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के परिपेक्ष्य मे प्रकरण मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता हैं तथा आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टशन न पाया जाने से आवंटन को वर्तमान स्तर पर निरस्त करना न्यायोचित नही है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मिसरिप्रजेन्टेशन से हुए आवंटन को खारिज कराने के संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा नही होते हैं।

अतः प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा चकहथिया, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 240 पर विपक्षीगण खातेदार होने से एवं मिसरिप्रजेन्टेशन न पाया जाने से आवंटन यथावत रखा जाता है एवं आराजी संख्या 233 एवं 234 के संबध मे तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह विपक्षीगण के पक्ष मे हुए आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना होने अथवा न होने के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.24 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested